<u>उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल</u>

न्यायमूर्ति एस. के. मिश्रा, ए. सी. जे.

और

न्यायमूर्ति आर. सी. खुल्बे, जे.

<u>4 अप्रैल, 2022</u>

<u>ए.ओ. संख्या 36 सन 2022</u>

मध्य:

दिनेश ठाकुर .... अपीलकर्ता

एवं

साक्षी बंसल ..... प्रतिवादी

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता : श्री चंद्रशेखर जोशी एवं श्री गौरव कुमार, विद्वान् अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता: सुश्री दिव्या जैन एवं श्री मनीष लोहानी, विद्वान् अधिवक्ता।

विद्वान् अधिवक्ता को सुनने के बाद, न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय किया

<u>निर्णय</u> : (द्वारा श्री एस. के. मिश्रा, ए.सी.जे.)

इस अपील में याचिकाकर्ता ने विद्वान् न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, देहरादून के समक्ष विविध केस नंबर 25 वर्ष 2020, सपठित संहिता की धारा 151, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 9 नियम 9 के तहत उनका आवेदन खारिज करते हुए दिनांक 17.12.2021 को न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर प्रहार किया है।

2. वर्तमान मामले के तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी ने वैवाहिक अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए प्रत्यर्थी के खिलाफ हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत एक कार्यवाही शुरू की थी। इसे सिविल कार्यवाही संख्या 437 सन 2019 के रूप में पंजीकृत किया गया था और दिनांक 14.11.2019 को चूक के कारण खारिज कर दिया गया था। इसके बाद, वर्तमान अपीलार्थी ने एक और आवेदन जो विविध आवेदन संख्या 74 सन 2019 है, इसकी बहाली के लिए दायर किया, लेकिन इस बीच, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और दिनांक 31.12.2019 से दिनांक 17.03.2020 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस बीच दिनांक 31.01.2020 को जब वह हिरासत में था, पहला बहाली आवेदन विद्वान् न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, देहरादून के समक्ष सूचीबद्ध हुआ और चूक के कारण खारिज कर दिया गया ।

3. अपीलार्थी ने पुनः विविध आवेदन संख्या 25 सन 2020 दायर किया, जिससे प्रथम पुनर्स्थापन आवेदन (74 वर्ष 2019) की बहाली के लिए जिसे दिनांक 08.10.2020 को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि पुनर्स्थापन आवेदन

को प्राथमिकता देने में तेरह दिन का विलंब हुआ था और उक्त मामले में कोई विलंब माफी आवेदन दायर नहीं किया गया था, वर्तमान अपील उत्पन्न होती है, ।

4. पत्रावली से यह भी विदित है कि दिनांक 17.12.2021 के आदेश के प्रस्तर संख्या 9 में, विद्वान् न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय ने नोट किया कि विविध आवेदन संख्या 74 वर्ष 2019, दिनांक 31.01.2020 को खारिज कर दिया गया था और इसकी बहाली के लिए सीमा 30 दिन है, जो दिनांक 01.03.2020 को समाप्त हो गई थी; कोई विलंब क्षमा आवेदन दायर नहीं किया गया है। देहरादून के कुटुम्ब न्यायालय के विद्वान् न्यायाधीश द्वारा एक बार पुनः यह नोट किया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार दिनांक 15.3.2020 से दिनांक 02.10.2021 तक की अवधि को सीमा से बाहर रखा गया है। विद्वान् न्यायाधीश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि तब भी, आवेदन विलंबित चरण में दाखिल किया गया है।

5. दिनांक 17.12.2021 के आदेश के प्रस्तर संख्या 10 पर, विद्वान् न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, देहरादून ने यह मत रखा है कि दूसरे पुनर्स्थापन आवेदन में अपीलकर्ता ने उस मामले की संख्या का उल्लेख नहीं किया है जिसे बहाल किया जाना है। इसलिए, इन दो आधारों पर, बहाली आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

6. हमारी ओर से संहिता के आदेश 9 के नियम 9 को उद्धृत करना उचित होगा। इसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

*"**9.** डिफ़ॉल्ट रूप से वादी के विरुद्ध डिक्री नए वाद को वर्जित करती है।*

(1) जहां कोई वाद नियम 8 के अधीन पूर्णतः या भागतः खारिज कर दिया गया है, वहां वादी को उसी वाद हेतुक के संबंध में नया वाद लाने से निवारित किया जाएगा। किंतु वह बर्खास्तगी को अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन कर सकता है और यदि वह न्यायालय को संतुष्ट करता है कि जब वाद सुनवाई के लिए बुलाया गया था तो उसके गैर-हाजिर होने के लिए पर्याप्त कारण था तो न्यायालय ऐसे निबंधनों पर बर्खास्तगी को अपास्त करने का आदेश करेगा जो वह ठीक समझेऔर मुकदमे की कार्यवाही के लिए एक दिन निर्धारित करेगा।

(2) इस नियम के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदन की सूचना विपक्षी दल को तामील न कर दी गई हो।

7. संहिता का पूर्वोक्त आदेश 9 नियम 9 एक उदार उपबंध है, जो उन व्यक्तियों के लिए उपचार का उपबंध करता है, जिन्हें उन मामलों की बहाली के लिए, जो खारिज कर दिए गए हैं, और खारिज के आदेश को अपास्त करने के लिए न्यायालयों में उपस्थित होने से पर्याप्त कारण से रोका गया है।

8. इसके अतिरिक्त, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम का उद्देश्य कुटुम्ब विवादों को निपटाने के लिए एक बेहतर तंत्र बनाना है। कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 के उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह उपबंध है कि कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना कुटुम्ब विवादों के निपटान के लिए की जानी चाहिए जहां सुलह और

सामाजिक रूप से वांछनीय परिणाम प्राप्त करने करने पर बल दिया जाना चाहिए और प्रक्रिया एवं साक्ष्य के कठोर नियमों की दृड़ता को दूर करना चाहिए । विधि आयोग ने अपनी 59वीं रिपोर्ट (1974) में इस बात पर भी जोर दिया था कि परिवार से संबंधित विवादों से निपटने के लिए न्यायालय को विचारण शुरू होने से पहले निपटान पर एक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उद्देश्यों और कारणों के कथन से आगे पता चलता है कि ऐसी सिफारिशों के बावजूद, न्यायालय अन्य सिविल मामलों की तरह ही पारिवारिक विवादों को निपटाना जारी रखे हुए हैं और वही विरोधी दृष्टिकोण प्रचलित है।

9. इस प्रकार, इस न्यायालय की यह राय है कि कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को प्रतिकूल विवादों के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि न्यायालय को पक्षकारों के बीच किसी समझौते पर आने में सक्रिय होना चाहिए जिससे कि सामाजिक रूप से स्वीकार्य परिणाम प्राप्त किया जा सके।

10. हम यह मत व्यक्त करने के लिए विवश हैं कि आक्षेपित आदेश में विद्वान् न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, देहरादून द्वारा की गई टिप्पणी कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम के लक्ष्यों और उद्देश्यों के विपरीत प्रतीत होती है और इसलिए हमारी आगे यह राय है कि आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाना चाहिए। कुटुम्ब न्यायालय, देहरादून के विद्वान न्यायाधीश ने इस मामले में तथ्यों और कानून की व्याख्या करने में बहुत तकनीकी और प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण अपनाया है।

11. इस मामले को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 17.12.2021 के आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है। दूसरी पुनर्स्थापना आवेदन संख्या 25 वर्ष 2020

स्वीकार की जाती है। हम पहले पुनर्वास आवेदन संख्या 74 वर्ष 2019 को भी स्वीकार किए जाने के लिए विवश हैं, और हम हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत आवेदन के गुण-दोष पर विचार करने के लिए मामले को वापस भेज रहे हैं। पक्षकारों को इस आदेश की प्रति 2 मई, 2022 तक कुटुम्ब न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है।

12. वर्तमान अपील तद्नुसार निस्तारित की जाती है।

13. इसके क्रम में, सभी लंबित आवेदनों का भी निस्तारण किया जाता है।

14. नियमों के अनुसार, इस आदेश की तत्काल प्रमाणित प्रति पक्षकारों को जारी की जाए।

_____

एस. के. मिश्रा, ए. सी. जे.

_____

आर. सी. खुल्बे, जे.

दिनांक : 4 अप्रैल, 2022
Rathour